जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 28.03.2023

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड करने मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 28.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 27.03.2023 को बाबरी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग के साथ छेडछाड करने के मामले में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना बाबरी पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश थानाध्यक्ष थाना बाबरी को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सागर पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बन्तीखेड़ा थाना बाबरी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

2.है0का0 योगेन्द्र सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।

3.का0 भागमल सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से अवैध 01 चाकू बरामदः-

आज दिनांक 28.03.2023 को थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सनव्वर पुत्र अंसार निवासी मौहल्ला मक्कीनगर थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है,जिसके कब्जे से अवैध 01 चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते शामली पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गयाः-

वर्ष 1997 में अभियुक्त आस मौहम्मद पुत्र यामीन निवासी तिलपनी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध मु0अ0सं0 128/1997 धारा 25 A ACT थाना कैराना पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुआ था। **इसी क्रम में आज दिनांक 28.03.2023 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त आस मौहम्मद उपरोक्त को धारा 25 A ACT में 02 माह के कारावास की सजा एवं 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है** । अर्थदंड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है।

नाम व पता अभियुक्त-

1.आस मौहम्मद पुत्र यामीन निवासी तिलपनी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।